न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी— **श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.**

राजस्व वाद—पत्र संख्या 259/2013

रज्जु दिनांक : 06/09/2013

निर्णय दिनांक : 10/02/2021

1. श्रीमती भूरीदेवी पत्नी गोपाल जाट जाति जाट, निवासी श्रीरामपुरा बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राज0।
2. श्रीमती सोनी देवी पत्नी हरफूल, जाति जाट, निवासी लालरपुरा, वैशालीनगर, जयपुर, जिला जयपुर, राज0।

—— वादीगण

—बनाम—

1. श्रीमती कमलेश पत्नी भींवाराम, जाति जाट, निवासी रोजडी, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
2. श्रीमती गुलाबदेवी पत्नी दानाराम, जाति जाट, निवासी रोजडी, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
3. मांगीलाल पुत्र श्री किशन, जाति जाट, निवासी रोजडी, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
4. श्रीमती बिमला देवी पत्नी भरतलाल कुम्हार, जाति कुम्हार, निवासी निमेडा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर राज0।
5. श्रीमती पार्वतीदेवी पत्नी कैलाशचन्द कुमावत, जाति कुमावत, निवासी बोबास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।
6. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
7. प्रेमदेवी पत्नी भगवानसहाय, जाति जाट, निवासी हिरनोदा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रतिवादीगण

—— वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा ——

(अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

उपस्थिति — श्री बलराज सिंह
श्री चन्दन सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादी संख्या 1

सहायक कलक्टर दूदू (फा॰ ट्रे॰)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

श्री हरलाल सिंह
श्री मुकेश चौधरी
श्री त्रिलोकेश चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादी संख्या 2

श्री नसीमुल हक
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2

श्री राजेन्द्र सिहं खंगारोत
श्री संजय सिंह सिरोही
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, 5

श्री रामजीलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 7
प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 10/02/2021

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपर्युक्त उनवानी प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30/06/2015 को प्रकरण प्राथमिक डिक्री किया गया जिसमें यह निर्णय किया गया कि ''अतः वादीया का वाद प्राथमिक डिकी किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 870, 3130/863, 3129/864, 2125/865, 3126/864, 3127/863, 861, 862 कुल किता 08 कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य मौके पर काबिज अनुसार विभाजन किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया जाकर तहसीलदार मौजमाबाद को नक्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया था।''

दिनांक 31/07/2019 को मूल पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर से प्राप्त हुई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) दूदू का प्रांरभिक निर्णय व डिकी दिनांक 30/06/2015 को यथावत रखा गया हैं। इसलिये तहसीलदार मौजमाबाद को पुनः तहरीर जारी की गयी।

दिनांक 02/09/2019 को मूल पत्रावली पूर्व में माननीय न्यायालय अपील प्राधिकारी अजमेर में होने केकारण नक्शा कुरेजात प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में शामिल किये गये थे। अतः आज नक्शे कुरेजात मूल पत्रावली में शामिल किये गये हैं।

दिनांक 16/09/2019 प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जाब्ता धारा 151 जा0 दी0 पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 5

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

की ओर से श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र बाबत आपत्ति नक्शे कुरेजात पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

दिनांक 01/10/2019 वादी/अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0 दी0 पर जवाब नही देना जाहिरकिया। प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी जाकर न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0 दी0 स्वीकार किया गया। दिनांक 11/11/2019 को वकील वादीद्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 19/11/2019 को प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से जवाबदावा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली कियागया। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र आपत्ति नक्शे कुरेजात का जवाब पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया। प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी जाकर न्यायहित में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः पक्षकारों की मौजूदगी में नक्शे अनुसार नक्शे कुरेजात दो दो प्रतियों में दिनांक 32/12/2019 से पूर्व भिजवाने हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को तहरीर जारी की गयी।

दिनांक 24/08/2020 को तहसीलदार मौजमाबाद से नक्शे कुरेजात प्राप्त हुये। दिनांक 11/11/2020 को वादी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 05/01/2021 को पुनः नक्शे कुरेजात प्राप्त हुये जो शामिल मिसल किये गये। वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह व बलराज द्वारा वकालतनामा व एक प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

दिनांक 12/01/2021 को वादी की ओर से प्राथमिक आपत्ति बाबत नक्शे कुरेजात पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जिस पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना–पत्र आपत्ति नक्शे कुरेजात खारिज किया गया।

दिनांक 10/02/2021 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 7 की ओर से राजीनामा पेश किया गया। जो बाद जांच राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता पक्षकारान ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजीनामा के अनुसार वाद यदि अन्तिम रूप से डिक्री कर दिया जाता है, तो अधिवक्ता पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण प्राथमिक डिकी होने के पश्चात नक्शे कुरेजात न्यायालय के समक्ष आ चुके थे, जिस पर आपत्ति पेश होने पर पुनः नवीन नक्शे कुरेजात पेश हुये, लेकिन फिर भी पक्षकारान में सहमति नही बनी तथा अब पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है तथा राजीनामा के अनुसार ही प्रकरण को अन्तिम रूप से निस्तारण करवाना चाहते है, जिसमें इस न्यायालय को किसी प्रकार की कानूनी आपत्ति प्रतीत नही होती हैं। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचन से बरूये राजीनामा वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद बरूये राजीनामा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 870, 3130/863, 3129/864, 3125/865, 3129/864, 3130/863, 861, 862 कुल किता 08 कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर वाके ग्राम बोराज, तहसील मौजमाबाद का पक्षकारान के मध्य संलग्न राजीनामा व नक्शे के अनुसार बंटवारा निम्न प्रकार से किया जाता है :–

अ– वादीगण के हक में आराजी खसरा नम्बर 3125/865 रकबा 0.6000 हैक्टेयर में से 0.1800 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 861 रकबा 0.4200 हैक्टेयर में से 0.3200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 862 रकबा 0.0300 हैक्टेयर सम्पूर्ण गैरमुमकिन चाह, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.2500 हैक्टेयर में से 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 864 रकबा 0.3000 हैक्टेयर में से 0.1800 हैक्टेयर।

ब– प्रतिवादीगण के हक में आराजी खसरा नम्बर 3125/865 रकबा 0.6000 हैक्टेयर में से 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 861 रकबा 0.4200 हैक्टेयर में से 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.2500 हैक्टेयर में से 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 864 रकबा 0.3000 हैक्टेयर में से 0.1200 हैक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 0.8200 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 3129/864 रकबा0. 1000हैक्टेयर पर एवं खसरा नम्बर 3130/863 रकबा 0.1500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 870 रकबा 0.4400हैक्टेयर कुल 1.4700 हैक्टेयर।

इस प्रकार उक्त अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया जाता है। राजीनामा इस निर्णय का अहम अंग रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10/2/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दूदू (जयपुर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

सहायक कलक्टर मुद्रा

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई + अंतिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू मुकाम

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S)

(1) श्रीमति भूरी देवी पत्नि गोपाल जाति जाट नि. श्रीरामपुरा बास मोकरोटा (2) श्रीमति सोनी देवी पत्नि हरफूल जाति जाट नि. लालरपुरा वैशालीनगर जिला जयपुर राज० बनाम (1) श्रीमति कमलेश पत्नि भींवाराम जाति जाट (2) श्रीमति गुलाब देवी (3) मांगीलाल पुत्र श्रीकिशन (4) श्रीमति विमला (5) पार्वती देवी (6) तहसीलदार मौजमाबाद (7) प्रेम देवी

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकद्दमा न. 259 सन् 2013

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधि. श्री. बलराज सिंह

व हाजिरी .... भिनजानिब मुद्दई रूबरू अधि. श्री. राजेन्द्र सिंह खंगारोत

.... भिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद बरुये राजीनामा अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 870, 3130/863, 3129/864, 3125/865, 3129/864, 3130/863, 861, 862 कुल किता 08 कुल रकबा 2.29 हैक्टे. वाकै ग्राम बोराज तह० मौजमाबाद का पक्षकारान के मध्य संलग्न राजीनामा व नक्शे के अनुसार बँटवारा निम्न प्रकार से किया जाता है— P.T.O. → निज .... मुबलिग ....

.... बाबत .... खर्चा इस मुकद्दमे के गय सूद बशरह ....

.... फीसदी .... सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 2 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत (signature)
सहायक कलक्टर

मुहर (सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) दूदू)

ओहदा (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान्		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् ईजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिए।

अंतिम डिक्री

Acm-दूदू
259/2013

श्रीमति भूरी देवी वगै. बनाम श्रीमति कमलेश वगै.

दावा

(अ) वादीगण के हक में आराजी खसरा नम्बर 3125/865 रकबा 0.6000 हेक्टे. में से. 0.1800 हेक्टे; खसरा न. 861 रकबा 0.4200 हेक्टे. में से 0.3200 हेक्टे, खसरा नं. 862 रकबा 0.0300 हेक्टेयर सम्पूर्ण गैरमुमकिन राह, खसरा नं. 863 रकबा 0.2500 हेक्टे; में से 0.1100 हेक्टे, खसरा नं. 864 रकबा 0.3000 हेक्टे. में से 0.1800 हेक्टेयर।

(ब) प्रतिवादीगण के हक में आराजी खसरा नम्बर 3125/865 रकबा 0.6000 हेक्टे. में से 0.4200 हेक्टे; ख.नं. 861 रकबा 0.4200 हेक्टे. में से 0.1000 हेक्टे; ख.नं. 863 रकबा 0.2500 हेक्टे. में से 0.1400 हेक्टे; ख.नं. 864 रकबा 0.3000 हेक्टे. में से 0.1200 हेक्टे भूमि इस प्रकार कुल 0.8200 हेक्टे एवं ख.नं. 3129/864 रकबा 0.1000 हेक्टेयर पर एवं ख.नं. 3130/863 रकबा 0.1500 हेक्टेयर खसरा नं. 870 रकबा 0.4400 हेक्टे कुल 1.4700 हेक्टेयर।

इस प्रकार उक्त अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर खाता अलहदा-अलहदा किया जाता है। राजीनामा इस निर्णय का अहम अंग रहेगा।

सहायक कलक्टर दूदू (फास्ट ट्रेक)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), दूदू